


मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24/05/2018

क्रमांक एफ 2-48/2018/1/55 :: राज्य शासन एतद्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत अथवा प्रतिनियुक्त पर पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों को राज्य के बाहर यात्रा की अनुमति देने के लिये अधिकार प्रत्यायोजित करते हुए ऐसी अनुमति देने के लिये संबंधित संभाग के संभागायुक्त को अधिकृत किया जाता है।


(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी. डी. अग्रवाल)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 24/05/2018

पृ.क्रमांक एफ 2-48/2018/1/55
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
5. वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6. स्टाक पंजी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


24/5/18
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश
आवक क्रमांक 2593
दिनांक 29.5.18
शाखा का नाम
रिमार्क
डी.एम.ई./सी.एम.ई.

स्था राज


29.05.18